फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी		प्रतिवादीगण
पांचाराम	बनाम	पारसराम वगैरह
प्रकरण : राजस्व वाद		मुकदमा नं. 33/2004

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
31.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 से 13 की तलबी एवं प्रतिवादी नं. 8 व 9 के कायम मुकाम की तलबी में दिनांक 23.02.2004 से लम्बित चल रही है। वकील वादी के निवेदन पर दिनांक 19.08.2020 को एक अवसर दिया गया जिसके पश्चात दिनांक 05.10.20, 25.11.20, 18.01.2020, एवं एक अन्तिम अवसर ओर दिनांक 15.03.2021 को तलबी हेतु प्रदत्त किये गये है। परन्तु वकील वादी द्वारा इतना समय दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी प्रतिवादीगण की तामील करवाने में सफल नहीं रहे। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिय जाने पर भी तामील करवाने में असफल रहने से वकील वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 05 के प्रावधान के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	

Scanned with CamScanner